Heading: - Joint Press Release on Caution to Investors	
Source:- Various Publications	**Date:-** 11 March 2024

Badhati Dunia

Headline: Investors are being cheated through social media platforms: Warning issued for investors

निवेशकों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रहे धोके: निवेशकों के लिए चेतावनी जारी

बढ़ती दुनिया

नई दिल्ली। एक्सचेंजों के ध्यान में यह लाया गया है कि भारतीय और अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबरों के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करने वाले कुछ बेईमान व्यक्ति/ संस्थाएं प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थान के साथ जुड़े होने का झूठा दावा कर रहे हैं, और कथित तौर पर सेबी/ एक्सचेंजों द्वारा जारी किए गए नकली प्रमाणपत्र प्रदर्शित कर रहे हैं।

ऐसे व्यक्तियों/ संस्थाओं की गतिविधियों में ये बातें शामिल हो सकती हैं-

प्रतिष्ठित संगठनों/व्यक्तियों से जुड़े होने का दावा,

अनियमित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और अनधिकृत ट्रेडिंग एप्लिकेशन प्रदान करना जो पंजीकृत ट्रेडिंग सदस्यों के एप्लिकेशन/वेबसाइटों से मिलते जुलते हों या वैसे ही नजर आते हों,

गारंटीशुदा/उच्च रिटर्न पाने के लिए 'इंस्टीट्यूशनल अकाउंट' से जुड़ने/बनाने का लालच देना,

पूंजी/विदेशी मुद्रा/वस्तु बाजार में निवेश पर सुनिश्चित/गारंटी रिटर्न की पेशकश,

निवेशकों से उनके लॉगिन क्रेडेंशियल (पासवर्ड सहित) साझा करने के लिए कहकर निवेशकों के ट्रेडिंग खाते को संभालने की पेशकश, सुनिश्चित मुनाफे के झूठे वादों के साथ प्री-आईपीओ सब्सक्रिप्शन की सुविधा देने का दावा करना, ट्रेडिंग संबंधी डब्बा/ अवैध सेवाएँ प्रदान करना।

निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं के साथ उनके अवैध प्लेटफार्मों पर भागीदारी सहित किसी भी तरीके से व्यवहार न करें। इस तरह की भागीदारी निवेशक के अपने जोखिम, लागत और परिणामों पर है क्योंकि ऐसे अवैध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सेबी/एक्सचेंजों द्वारा न तो अनुमोदित हैं और न ही समर्थित हैं।

निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे शेयर बाजार में सांकेतिक/ सुनिश्चित/ गारंटी रिटर्न की पेशकश करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा पेश की गई ऐसी किसी भी स्कीम/ प्रॉडक्ट की सदस्यता न लें, क्योंकि यह कानून द्वारा निषिद्ध है। इसके अलावा, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ट्रेडिंग क्रेडेंशियल जैसे यूजर आईडी/पासवर्ड या कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी किसी के साथ साझा न करें। निवेशकों के लिए यह समझना जरूरी है कि उच्च रिटर्न देने वाले निवेश में आमतौर पर धोखाधड़ी जोखिम सहित उच्च जोखिम शामिल होता है और प्रतिभूति बाजार में सुनिश्चित रिटर्न की कोई गारंटी नहीं हो सकती है।

निवेशकों से अत्यधिक सावधानी बरतने, उचित परिश्रम करने और सेबी/ एनएसई/ बीएसई/ एमसीएक्स/ एमएसई/ एनसीडीईएक्स पंजीकृत मध्यस्थ होने का दावा करने वाली किसी भी इकाई की पंजीकरण स्थिति को सत्यापित करने का आग्रह किया जाता है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि एक्सचेंजों ने पंजीकृत सदस्यों और इसके अधिकृत व्यक्तियों के विवरण की जांच करने के लिए नीचे दी गई अपनी वेबसाइट पर एक सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा, निवेशकों से धन प्राप्त करने/ भुगतान करने के लिए ग्राहक बैंक खातों के रूप में नामित बैंक खाते ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा एक्सचेंजों को बताई गई जानकारी भी उक्त लिंक के तहत प्रदर्शित की जाती है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी इकाई के साथ लेनदेन करते समय विवरण की जांच करें।

Society News

Headline: Caution to Investors

Caution to Investors

Mumbai (Society News). It has been brought to the notice of the Exchanges that some unscrupulous persons/ entities operating through Indian and International mobile numbers, through social media platforms like WhatsApp Groups, Telegram Channels, Facebook, Instagram Channels, etc. are falsely claiming to be associated with reputed financial institutions, showcasing fake certificates purportedly issued by SEBI/ Exchanges.

The activities of such persons/ entities may include:

-Claims of being associated with organisations/individuals of repute,

-Providing unregulated trading platforms and unauthorized trading applications which resembles or impersonate Applications/Websites of registered trading members,

-Luring to join/create "Institutional account" to get guaranteed/high returns,

-Offering assured/guaranteed returns on Investment in Capital/Forex/Commodities market,

-Offering to handle trading account of investors by asking investors to share their login credentials (including passwords),

-Claiming to facilitate pre-IPO subscriptions with false promises of assured profits,

-Offering dabba/ illegal trading services.

Investors are cautioned and advised NOT to deal with such persons/ entities in any manner including participation on their illegal platforms. Such participation is at investor's own risk, cost and consequences as such illegal trading platforms are neither approved nor endorsed by the SEBI/Exchanges. The investors are also cautioned and advised not to subscribe to any such scheme/ product offered by any person offering indicative/ assured/ guaranteed returns in the stock market as the same is prohibited by law. Further, investors are advised not to share their trading credentials such as user id/password or any other sensitive information with anyone. It is imperative for investors to understand that investments offering high returns usually involve high risk including fraud risk and there can be no guarantees of assured returns in the securities market.

Investors are urged to observe utmost caution, conduct due diligence, and verify the registration status of any entity claiming to be a SEBI/NSE/ BSE/MCX/MSE/NCDEX registered intermediary. It may also be noted that Exchanges have provided a facility ontheir website as given below, to check the details of the registered members andits Authorised Persons.Further, the designated bank accounts named as client bank accounts to receive/pay money from/to investors as disclosed by the trading members to Exchanges are also displayed under the said link. Investors are advised to check the details while dealing with any entity.

Business Remedies

Headline: Warning for investors

निवेशकों के लिए चेतावनी

बिज़नेस रेमेडीज/नई दिल्ली

एक्सचेंजों के ध्यान में यह लाया गया है कि भारतीय और अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबरों के माध्यम से व्हाट्सएप गुप, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करने वाले कुछ बेईमान व्यक्ति/संस्थाएं प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थान के साथ जुड़े होने का झूठा दावा कर रहे हैं, और कथित तौर पर सेबी/एक्सचेंजों द्वारा जारी किए गए नकली प्रमाणपत्र प्रदर्शित कर रहे हैं।

ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं की गतिविधियों में ये बातें शामिल हो सकती हैं-

प्रतिष्ठित संगठनों/व्यक्तियों से जुड़े होने का दावा।

अनियमित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और अनधिकृत ट्रेडिंग एप्लिकेशन प्रदान करना जो पंजीकृत ट्रेडिंग सदस्यों के एप्लिकेशन/वेबसाइटों से मिलते जुलते हों या वैसे ही नजर आते हों।

गारंटीशुदा/उच्च रिटर्न पाने के लिए 'इंस्टीट्यूशनल अकाउंट' से जुड़ने/बनाने का लालच देना,

पूंजी/विदेशी मुद्रा/वस्तु बाजार में निवेश पर सुनिश्चित/गारंटी रिटर्न की पेशकश।

निवेशकों से उनके लॉगिन क्रेडेंशियल (पासवर्ड सहित) साझा करने के लिए कहकर निवेशकों के ट्रेडिंग खाते को संभालने की पेशकश।

सुनिश्चित मुनाफे के झूठे वादों के साथ प्री-आईपीओ सब्सक्रिप्शन की सुविधा देने का दावा करना, ट्रेडिंग संबंधी डब्बा/अवैध सेवाएँ प्रदान करना।

निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं के साथ उनके अवैध प्लेटफार्मों पर भागीदारी सहित किसी भी तरीके से व्यवहार न करें। इस तरह की भागीदारी निवेशक के अपने जोखिम, लागत और परिणामों पर है क्योंकि ऐसे अवैध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सेबी/एक्सचेंजों द्वारा न तो अनुमोदित हैं और न ही समर्थित हैं।

निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे शेयर बाजार में सांकेतिक/सुनिश्चित/गारंटी रिटर्न की पेशकश करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा पेश की गई ऐसी किसी भी स्कीम/प्रॉडक्ट की सदस्यता न लें, क्योंकि यह कानून द्वारा निषिद्ध है। इसके अलावा, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ट्रेडिंग क्रेडेंशियल जैसे यूजर आईडी/पासवर्ड या कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी किसी के साथ साझा न करें। निवेशकों के लिए यह समझना जरूरी है कि उच्च रिटर्न देने वाले निवेश में आमतौर पर धोखाधड़ी जोखिम सहित उच्च जोखिम शामिल होता है और प्रतिभूति बाजार में सुनिश्चित रिटर्न की कोई गारंटी नहीं हो सकती है।

निवेशकों से अत्यधिक सावधानी बरतने, उचित परिश्रम करने और सेबी/ एनएसई/ बीएसई/ एमसीएक्स/ एमएसई/ एनसीडीईएक्स पंजीकृत मध्यस्थ होने का दावा करने वाली किसी भी इकाई की पंजीकरण स्थिति को सत्यापित करने का आग्रह किया जाता है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि एक्सचेंजों ने पंजीकृत सदस्यों और इसके अधिकृत व्यक्तियों के विवरण की जांच करने के लिए नीचे दी गई अपनी वेबसाइट पर एक सुविधा प्रदान की है।

इसके अलावा, निवेशकों से धन प्राप्त करने/भुगतान करने के लिए ग्राहक बैंक खातों के रूप में नामित बैंक खाते ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा एक्सचेंजों को बताई गई जानकारी भी उक्त लिंक के तहत प्रदर्शित की जाती है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी इकाई के साथ लेनदेन करते समय विवरण की जांच करें।

Uday Today

Headline: Warning for investors

निवेशकों के लिए चेतावनी - संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

जयपुर,(उदय टुडे)। एक्सचेंजों के ध्यान में यह लाया गया है कि भारतीय और अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबरों के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करने वाले कुछ बेईमान व्यक्ति/संस्थाएं प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थान के साथ जुड़े होने का झूठा दावा कर रहे हैं, और कथित तौर पर सेबी/एक्सचेंजों द्वारा जारी किए गए नकली प्रमाणपत्र प्रदर्शित कर रहे हैं।निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं के साथ उनके अवैध प्लेटफार्मों पर भागीदारी सहित किसी भी तरीके से व्यवहार न करें। इस तरह की भागीदारी निवेशक के अपने जोखिम, लागत और परिणामों पर है क्योंकि ऐसे अवैध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सेबी/एक्सचेंजों द्वारा न तो अनुमोदित हैं और न ही समर्थित हैं।निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे शेयर बाजार में सांकेतिक/सुनिश्चित/गारंटी रिटर्न की पेशकश करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा पेश की गई ऐसी किसी भी स्कीम/प्रॉडक्ट की सदस्यता न लें, क्योंकि यह कानून द्वारा निषिद्ध है। इसके अलावा, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ट्रेडिंग क्रेडेंशियल जैसे यूजर आईडी/पासवर्ड या कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी किसी के साथ साझा न करें। निवेशकों के लिए यह समझना जरूरी है।